

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
कार्यालय आदेश

संचिका सं० :-01/स्था०क्षे०-316/2026-

दिनांक अप्रैल, 2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023, 19332 दिनांक-14.10.2023 एवं पत्र संख्या-19333 दिनांक-14.10.2023 तथा 19358 दिनांक-16.10.2023 के क्रम में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन कार्यालय परिचारी को अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने के निमित्त विचार करने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग समिति का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदानाम	स्क्रीनिंग समिति में स्थिति
1.	श्री अनिल कुमार झा, भा०प्र०से० ईखायुक्त, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
2.	श्री नजर हुसैन, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना। (अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य)।	सदस्य
3.	श्री विधु भूषण चौधरी, संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, बिहार, पटना (अनु० जाति/जनजाति के सदस्य)।	सदस्य
4.	श्री अभय कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि)।	सदस्य
5.	श्री मनोज कुमार, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग के सदस्य)।	सदस्य
6.	श्री राजीव रंजन, अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य

ह०/-
(राजीव रंजन)
अवर सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग।

दिनांक 70 अप्रैल, 2026

ज्ञापक :-01/स्था०क्षे०-316/2026-650

प्रतिलिपि :-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री अनिल कुमार झा, ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक/श्री अभय कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग/श्री मनोज कुमार, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/श्री विधु भूषण चौधरी, संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग/श्री नजर हुसैन, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग/श्री राजीव रंजन, अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajesh
07/04/26.
अवर सचिव।

